न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

जीवा डांगी पिता स्वर्गीय नाना जी डांगी, निवासी भुवाणा, आमलियों की मगरी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. वेणीराम पिता स्वर्गीय नाना जी डांगी, निवासी भुवाणा, आमलियों की मगरी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. डालू पिता स्वर्गीय नाना जी डांगी, निवासी भुवाणा, आमलियों की मगरी, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती निधि कुमट पत्नी विनोद जी कुमट, निवासी 18–बी, नीमच माता, स्कीम, उदयपुर (राज.) कार्यवाही ड्रोप
6. श्रीमती मेगना कुमट पत्नी सुनील जी कुमट, निवासी पुंजावटी भुवाणा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा
दिनांक 05.07.2017, प्र॰सं॰ 97/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मुकेश लोढ़ा अभिभाषक रेस्पो.सं. 6

———::———

निर्णय दिनांक

08–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भुवाणा में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों की कृषि भूमि आराजी नंबर 1193, 1194 व 1195 स्थित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूलपुरूष नाना जी के तीन पुत्र प्रार्थी जीवा व विपक्षी संख्या 1 व 2 वेणीराम व डालू हुए। उक्त भूमियों का विधिवत बंटवाडा नानाजी के जीवनकाल में ही होकर प्रार्थी के हिस्से में आराजी नंबर 1194, विपक्षी संख्या 1 को आराजी नंबर 1195 व विपक्षी संख्या 2 को आराजी नंबर 1193 आयी, किन्तु प्रार्थी के हिस्से में आयी आराजी नंबर 1194 पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से तत्समय तय किया गया कि प्रार्थी आराजी नंबर 1195 से आ जा सकेगा तथा उसी अनुसार प्रार्थी 35 वर्षो से लगातार उसी आराजी नंबर से आता–जाता है, किन्तु अब विपक्षी उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा रास्ते की जमीन पर निर्माण कार्य चालू कर दिया है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 1195 से 15 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को डी.एल.सी. दर से दिलवाया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी ने आराजी नंबर 1195 श्रीमती निधि कुमट को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सौंप दिया है तथा बिकावनामें के आधार पर वह खातेदार हो चुकी है, अब उक्त आराजी में मुझ विपक्षी का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थी को आराजी नंबर 1195 से कोई रास्ता नहीं दिया गया है, बल्कि आराजी नंबर 1194 पर पूर्व दिशा की ओर से वह अपने खेत में आते–जाते हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद राजस्व कैम्प भुवाणा में अपने निर्णय दिनांक 05–07–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर

दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08–08–2017 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 19–06–2017 की आदेशिका अनुसार पत्रावली दिनांक 05–07–2017 को लोक अदालत में दिनांक 05–07–2017 को पेश रखी गयी है, जिस पर स्वयं अपीलान्ट/प्रार्थी जीवा के हस्ताक्षर हैं। अतः राजस्व लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने की अपीलान्ट/प्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी, फिर भी उसके द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु अपील मात्र दो दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री मुकेश लोढ़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध दिनांक 26–09–2018 को कार्यवाही ड्रोप की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में वर्षो से आने जाने के रास्ते को रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बन्द किया जा रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा धारा 251 ए के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट भूमि की कीमत अदा करने को तैयार

है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि मौका रिपोर्ट में आराजी नंबर 1195 में से आने–जाने का रास्ता होना अंकित है। उक्त भूमि का अकृषि रूपान्तरण नहीं हुआ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में भूमि का कृषि उपयोग नहीं होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी नंबर 1195 जिसमें से प्रार्थी/अपीलान्ट रास्ता चाहता है। आराजी नंबर 1195 विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज होकर उसके द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को भूमि विकय कर दिये जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या 3754 केता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 श्रीमती निधि कुमट के नाम स्वीकृत हुआ है। तत्पश्चात् श्रीमती निधि कुमट द्वारा उक्त भूमि की रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 को कर दिये जाने के कारण तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 श्रीमती मेगना कुमट द्वारा आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण उसे इस न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी नंबर 1195 के चारों ओर मकान व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व न्यायालय का क्षत्राधिकार नहीं मानकर प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–07–2017 यथावत रखा

जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर